भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3566

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

बच्चों में शराब और नशीली दवाओं की लत

3566. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बच्चों में शराब और नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बच्चों में नशीली दवाओं की लत के खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बच्चों सहित सभी नागरिकों में शराब और नशीली दवाओं की लत को रोकने हेतु नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है। एनएपीडीडीआर के तहत किए गए कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बच्चों में नशे की लत के खतरे से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. नवचेतना मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल हैं, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रों (6वीं-11वीं कक्षा), शिक्षकों और अभिभावकों को नशीली दवाओं पर निर्भरता, इसका मुकाबला करने से संबंधित रणनीतियां तैयार करने और जीवन कौशल के बारे में जागरूक करने के लिए विकसित किया गया है।

ii. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) अगस्त 2020 को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आम जनता तक पहुंचना और नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब तक एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 13.57+ करोड़ लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 4.42+ करोड़ युवा शामिल हैं। अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुँचाने का कार्य 3.85+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने सुनिश्चित किया है।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 46 समुदाय आधारित संगतिपरक हस्तक्षेप (सीपीएलआई) कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ मिलकर नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल सिखाने के लिए काम करते हैं।

अनुबंध

"बच्चों में शराब और नशीली दवाओं की लत" पर दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3566 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नोडल मंत्रालय है। नशीली दवाओं की लत की समस्या से निपटने के लिए यह विभाग नशीली दवाओं की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

ii. नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन किशोरों में नशीली दवाओं के शीघ्र प्रयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) को; और

iii. नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

2. एनएपीडीडीआर योजना के तहत नशीली दवाओं की मांग कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

i. वर्तमान में 347 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, एनजीओ के माध्यम से 71 डीडीएसी और सरकारी अस्पतालों में 117 एटीएफ को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों की आसान पहुँच के लिए जियो-टैग किया गया है।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन '14446' शुरू की गई है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और

और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

iv. अब तक, एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 13.57+ करोड़ लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 4.42+ करोड़ युवा और 2.71+ करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 3.85+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

v. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

vii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूअर (viewer) को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-शपथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

viii. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक शपथ ली गई और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।

****